—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 18/2023

उनवान

सूरजकरण पुत्र किशना जाति जाट निवासी गाम अमरपुरा, नसीराबाद
—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. जीवराज पुत्र हनुमान
2. प्रेम देवी पत्नी हनुमान
3. मुकेश पुत्र हनुमान
4. महीपाल पुत्र हनुमान समस्त जाति जाट निवासी गाम अमरपुरा, नसीराबाद
5. मैनेजर युनियन बैंक आफॅ इण्डिया शाखा बाघसुरी, नसीराबाद
6. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 4 जरिये अधिवक्ता श्री नितेश यादव
1 से 3 जरियें अधिवक्ता श्री गोर्धन गुर्जर
5 अनुपस्थित, 6 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251** ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 13.1.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अमरपुरा प.म. भगवानपुरा के हाल खसरा नम्बर 82 रकबा 0.22 प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर प्रवेश करने हेतु खसरा नम्बर 36 जो कि आबादी है मे से होकर खसरा नम्बर 81 चाह जिसमें प्रार्थी के दादा का हिस्सा है, मे से होकर खसरा नम्बर 80 रकबा 0.31 प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की खातेदारी में से होकर आवागमन का एक मात्र रास्ता है। उक्त मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग प्रार्थी के पास उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थी को उक्त आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 4 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर 82 में प्रवेश हेतु खसरा नम्बर 36 आबादी में से रास्ते हेतु ग्राम पंचायत को पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थी अपने दादा के हिस्से खसरा नम्बर 81 में से जाता है उन्हे भी प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। खसरा नम्बर 80 की किस्म नहरी है जिस पर कृषि कार्य कर के अपने परिवार का पालन—पोषण करता है। नहरी व पेटा तालाबी किस्म की भूमि पर रास्ते का अंकन नही किया जा सकता है। अप्रार्थी की भूमि पर कभी भी कोई रास्ता नही रहा है। खसरा नमबर 36 जो कि ग्राम पंचायत न्यारा [illegible] की है, में ग्राम अमरपुरा के सभी ग्रामवासी आवागमन करते है। [illegible] खातेदारी है, जिसके सामने मकान व बाडा है। इसी से आवागमन [illegible] भूमि पर प्रार्थी के पास

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:16:26 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

रास्ता उपलब्ध है। अप्रार्थी के खसरा नम्बर 80 व 81 में नया रास्ता सर्जित नही किया जा सकता है। प्रार्थी के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, प्रार्थी सुविधा के लिये माग्र चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

तहसीलदार नसीराबद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। ग्राम अमरपुरा के हाल खसरा नम्बर 82 रकबा 0.22 प्रार्थी की खातेदारी की है। हाल खसरा नम्बर 80 रकबा 0.31 अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। खसरा नम्बर 36 रकबा 3.42 आबादी भूमि है, जो ग्राम पंचायत न्यारा के नाम आबदी हेतु आरक्षित है। खसरा नम्बर 81 रकबा 0.03 किसम चाह प्रार्थी के दादा, अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व अन्य व्यक्तियों की सह खातेदारी में है। प्रार्थी का कथन है कि उसके पास स्वयं की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु कोई मार्ग नही होने के कारण अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में से मार्ग दिलवाया जावे। किन्तु तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 82 ग्राम की आबादी भूमि खसरा नम्बर 36 से संलग्न है। जिस पर मकान व बाडा बना है। प्रार्थी पूर्व में आवागमन वहा से करता था। खसरा नम्बर 80 में से भी चाह खसरा नम्बर 81 के समीप से होते हुये भी आबादी खसरा नम्बर 36 तक आवागमन करता था। मौका रिपोर्ट के साथ सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 36 किस्म आबादी भूमि से लगती हुयी है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी के पश्चिम में प्रार्थी का मकान व बाडा बना हुआ है तथा भूमि के लगायत आबादी भूमि पर डामर सडक बनी हुयी है। खसरा नम्बर 81 किस्म चाह जिस पर प्रार्थी के दादा का हिस्सा है भी सडक से लगता हुआ है। प्रार्थी उक्त चाह के खसरा नम्बर में से भी आवागमन कर सकता है। प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट, नजरी नक्शा व जवाब से सिद्व होता हे कि प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि पर आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। प्रार्थी अपनी सुविधा के लिये सुलभ मार्ग का अनुतोष प्रापत करना चाहता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए में आसामी को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु मार्ग प्रदान करने के प्रावधान है किन्तु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद सुविधा के लिये मार्ग प्रदान करना न्यायोचित नही है। प्रार्थी को रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता सिद्व होती है। अतः प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसारः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:16:26 IST
Reason: SelfAttested